



30प्र0 राज्य एड्स नियंत्रण सोसाइटी

चौथा तल, ए-ब्लॉक, पिकप भवन, विभूतिखण्ड, गोमतीनगर,

लखनऊ-226010 फोन नं० : 0522-2720360

फैक्स-0522-2721135 Website: www.upsacs.nic.in

TENDER NO: 05/UPSACS/Admin/Rented Taxi/2017-18

DATED : 12.04.2017

किराए के वाहन (टैक्सी) हेतु निविदा सूचना

उ० प्र० राज्य एड्स नियंत्रण सोसाइटी, ए-ब्लॉक, पिकप भवन, गोमती नगर, लखनऊ के (मासिक/दैनिक) उपयोगार्थ ए०सी० टैक्सी वाहन उपलब्ध कराये जाने हेतु अनुमदी पंजीकृत फर्मों/वाहन एजेंट्सियों से दो बिड प्रणाली के अन्तर्गत निविदा (तकनीकी बिड एवं वित्तीय बिड) दिनांक 08.05.2017 के अपरान्ह 3.30 बजे तक आमंत्रित की जाती है। निविदा प्रपत्र सोसाइटी से किसी भी कार्यदिवस में दिनांक 08.05.2017 तक रु 500/- (रु पांच सौ मात्र) नकद भुगतान कर प्राप्त किये जा सकते हैं। निविदा प्रपत्र सोसाइटी की वेब साइट www.upsacs.nic.in से भी डाउनलोड किया जा सकता है, जिसके साथ निविदा-प्रपत्र शुल्क रु 500/- का बैंक ड्राफ्ट 'उत्तर प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण सोसाइटी' के नाम संलग्न करना अनिवार्य होगा। पूर्ण निविदा प्रपत्र दिनांक 08.05.2017 को अपरान्ह 3.30 बजे तक सोसाइटी में जमा किये जाएंगे तथा उसी दिन अपरान्ह 4.00 बजे सोसाइटी कार्यालय में निविदादाता/प्रतिनिधि के समक्ष क्रय समिति द्वारा खोले जायेंगे। प्री-बिड बैठक दिनांक 24.04.2017 अपरान्ह 3:30 बजे होगी। अन्य शर्तें एवं विवरण निविदा प्रपत्र में अंकित है। निविदाकारों की यह पूर्ण जिम्मेदारी होगी कि वह निविदा प्रस्तुत करने से पूर्व जारी किए गए निविदा दस्तावेज में बाद में किए गए किसी भी परिशिष्ट/संशोधन के लिए सोसाइटी की वेब-साइट का अवलोकन समय-समय पर करते रहें। निविदा प्रक्रिया को पूर्ण/आंशिक रूप से बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार सोसाइटी को होगा।

परियोजना निदेशक

Ad Size_8x8

NKashyap
12/04/2017

उ० प्र० राज्य एड्स नियन्त्रण सोसाइटी

4th Floor, 'A', Block, PICUP Bhawan, Gomti Nagar, Lucknow - 226 010

Phone: 0522 - 2720360 Fax: 0522 - 2721135

E-mail: uttarpradeshsacs@gmail.com Website: <http://upsacs.nic.in>

अहस्तान्तरणीय

टेण्डर सं००५ / UPSACS/Admin/Rented Taxi/2017-18

Dated: 12.04.2017

निविदा प्रपत्र मूल्य : Rs. 500/- (रुपये पाँच सौ मात्र)
(Non Refundabel)

किराए पर वाहन (टैक्सी) हेतु निविदा आमंत्रण



निविदा आमंत्रण तथा निविदाकार के लिए अनुदेश

विषय:—उ0प्र0रा0 एड्स नियंत्रण सोसाइटी लखनऊ के प्रयोगार्थ टैक्सी वाहन किराए पर लेने हेतु निविदा सूचना।

उ0प्र0 राज्य एड्स नियंत्रण सोसाइटी में शासकीय कार्यों के प्रयोगार्थ एक वर्ष की अवधि के लिए मासिक तथा समय-समय पर आवश्यकतानुसार किराए की ए0सी0/नॉन ए0सी0 टैक्सी वाहन उपलब्ध कराने हेतु टैक्सी अभिकरणों/फर्मों से दो बिड प्रणाली (तकनीकी बिड तथा वित्तीय बिड अलग अलग) में मुहरबंद निविदाएं आमंत्रित की जाती है।

तालिका-ए

निविदा कार्यालय अथवा वेब-साइट www.upsacs.nic.in से डाउनलोड कर प्राप्त किये जा सकते हैं।	:	From 12.04.2017 to 08.05.2017 Office working time:09.30 AM to 6.00 PM (दिनांक 08.05.2017 को मध्याह्न 12 बजे तक ही निविदा प्रपत्र प्राप्त किये जा सकते हैं।)
निविदा प्रस्तुत/जमा करने की अंतिम तिथि	:	On or before 03.00 PM dated 08.05.2017
प्री-बिड बैठक की तिथि एवं समय	:	दिनांक 24.04.2017 को अपराह्न 3.00 बजे सोसाइटी सभागार कक्ष में प्री-बिड बैठक का आयोजन किया जाएगा, जिसमें निविदा से सम्बन्धित बिन्दुवार चर्चा की जाएगी।
निविदा खुलने की तिथि	:	निविदा 08.05.2017 अपराह्न 03:30 बजे खोली जाएगी। निविदाकार स्वयं या उसका एक प्रतिनिधि मौजूद रह सकता है। नोट:— निविदा जमा करने एवं खोलने हेतु निर्दिष्ट अंतिम तिथि को अवकाश घोषित होने या आकस्मिक परिस्थिति में निविदाएँ अगले कार्य दिवस में नियत समय पर जमा/खोली जाएंगी।
निविदा प्रपत्र का शुल्क	:	Rs.500/- (non-refundable) यदि निविदा दस्तावेज UPSACS वेबसाइट www.upsacs.nic.in से डाउनलोड किया जाता है, तो निविदा प्रपत्र शुल्क “Uttar Pradesh State AIDS Control Society, Lucknow”. के पक्ष में डीडी के माध्यम से भुगतान किया जाएगा। निविदा प्रपत्र कार्यालय के रिसेशन काउंटर से नगद भुगतान कर प्राप्त किया जा सकता है।
बयाना राशि (Earnest Money Deposit [EMD])	:	Rs 10,000/- (Through FDR Only) in favour of “Uttar Pradesh State AIDS Control Society, Lucknow” valid for six months.
निविदा खोलने का स्थान	:	Conference Hall, Uttar Pradesh State AIDS Control Society, 4th Floor, A-Block, PICUP Bhawan, Vibhuti Khand, Gomti Nagar, Lucknow.
पत्राचार के लिए पता	:	The Project Director, Uttar Pradesh State AIDS Control Society, 4th Floor, A-Block, PICUP Bhawan, Vibhuti Khand, Gomti Nagar, Lucknow PIN Code – 226010 Phone – 0522 – 2720360 Fax – 0522-2721135 Website – www.upsacs.nic.in

1. निविदा हेतु न्यूनतम अर्हताएँ/मापदण्डः—

- फर्म पंजीकरण संबंधित समस्त आवश्यक अभिलेख संलग्न करना अनिवार्य है। (फर्म के समस्त लीगल प्रपत्र जैसे—फर्म गठन, सेवा कर, पैन आदि समस्त अभिलेखों की सत्यापित/स्वहस्ताक्षरित प्रति संलग्न की जाए)।
- फर्म के पास पर्याप्त संख्या में (कम से कम 5 वाहन स्वयं के नाम पंजीकृत हों) पंजीकृत वाहन होने चाहिए, जिनका पंजीकरण विगत तीन वर्ष के अन्दर का हो तथा वाहन 60,000 कि०मी० से अधिक न चला हो। (पंजीकृत प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रतियां संलग्न की जाए)।
- फर्म के पास पिछले तीन वित्त वर्षों के दौरान सरकारी क्षेत्र/अर्द्धसरकारी/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों इत्यादि के साथ कार्य करने का अनुभव होना चाहिए; (अनुबन्ध/कार्यादेश एवं अनुभव—प्रमाण पत्र (Experience certificate) की छायाप्रति संलग्न करना होगा)।
- निविदाकार के पास लखनऊ नगर सीमा के अन्दर सुस्थापित कार्यालय होना चाहिए।

सामान्य निर्देशः—

- निर्धारित तिथि एवं समय के बाद निविदा प्रपत्र सोसाइटी से न तो निर्गत किये जायें और न ही प्राप्त किये जायें। डाक से मंगायी/भेजी गयी निविदायें विलम्ब से प्राप्त होने पर सम्मिलित नहीं की जाएगी एवं सोसाइटी कार्यालय किसी भी दशा में उत्तरदायी नहीं होगा।
- उ०प्र० राज्य एड्स सोसाइटी को प्राप्त हुई निविदा/निविदाओं को पूर्ण/आंशिक रूप से स्वीकार/रद्द करने का अधिकार होगा तथा इस संबंध में परियोजना निदेशक का निर्णय अंतिम/बाध्यकारी होगा।
- निविदाकार की यह पूर्ण जिम्मेदारी होगी कि वह निविदा प्रस्तुत करने से पूर्व जारी किए गए निविदा दस्तावेज में बाद में किए गए किसी भी परिशिष्ट/संशोधन के लिए उ०प्र० राज्य एड्स नियन्त्रण सोसाइटी की वेब-साइट का अवलोकन समय-समय पर करते रहे।
- मुहरबंद निविदा केवल निर्धारित प्रपत्र सोसाइटी पर रखे निविदा बक्से में डाल दी जाए। प्राप्त समस्त निविदाएँ निविदादाता अथवा उसके प्रतिनिधि की उपस्थिति/अनुपस्थिति में खोली जाएगी। यह विशेष रूप से नोट किया जाए कि निविदा जमा बयाना राशि (अर्नेस्ट मनी) सहित आवश्यक दस्तावेजों के साथ तथा केवल निर्धारित प्रपत्र में प्रस्तुत की जाए। निविदा के संबंध में किसी प्रकार के सन्देह, स्पष्टीकरण इत्यादि के लिए सोसाइटी के प्रशासन अनुभाग (दूरभाष सं० 0522:2720360) से सम्पर्क किया जा सकता है।

तकनीकी और वित्तीय प्रस्तावों को दो अलग-अलग सीलबन्द लिफाफों में रखा जाए तथा उन पर क्रमशः 'तकनीकी बिड' तथा 'वित्तीय बिड' अंकित किया जाए। इन दोनों लिफाफों (तकनीकी बिड एवं वित्तीय बिड) को एक बड़े लिफाफे में रख कर सील किया जाए जिसमें "वाहनों (टैक्सी) को किराए पर लेने के लिए निविदा वर्ष 2017-18" अंकित किया जाए जिस पर विधिवत फर्म की मुहर लगी हो तथा परियोजना निदेशक, उ०प्र० राज्य एड्स नियन्त्रण सोसाइटी, चतुर्थ तल, ए-ब्लाक, पिकप भवन, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ-226010 का पता लिखा हो।

2. तकनीकी बिड के लिफाफे में निम्नलिखित सूचना/दस्तावेज उपलब्ध कराए जाएंगेः—

तकनीकी बिड अनुलग्नक-1 में दिए गए प्रपत्र के आधार पर अलग लिफाफे में हो।

- फर्म का संबंधित प्राधिकरण के साथ पंजीकरण की सत्यापित प्रति तथा फर्म का नाम, व्यवसाय/कार्यालय का पता एवं दूरभाष संख्या व मोबाइल संख्या भी अलग पृष्ठ पर सत्यापित कर संलग्न करे।
- मोटरखाना (गैराज) स्थान निर्धारण/पता।

- iii. पंजीकृत फर्म का पैन नम्बर, सेवाकर पंजीकरण के प्रमाणपत्र की प्रतियां तथा अद्यतन आयकर प्रमाण पत्र।
- iv. फर्म का विगत तीन वर्षों में वार्षिक टर्न ओवर रु 40 लाख प्रतिवर्ष होना चाहिए। विगत तीन वित्त वर्षों के वार्षिक टर्न ओवर की प्रति (चार्टरित लेखाकार द्वारा विधिवत रूप से लेखा परीक्षित वार्षिक लेखा विवरणी) संलग्न की जाए।
- v. संबंधित सरकारी/मंत्रालय/विभाग/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/विख्यात कारपोरेट क्षेत्रों में समान सेवा प्रदान करने का विगत तीन वर्षों के अनुभव के ब्यौरे की स्वहस्ताक्षरित प्रतियाँ संलग्न की जाएं।
- vi. वाहन तीन वर्ष से कम समय के पंजीकृत हो और फर्म/एजेन्सी के नाम कम से कम 5 वाहन पंजीकृत हों (पंजीकरण प्रमाणपत्र की स्वहस्ताक्षरित प्रतियाँ संलग्न की जाएं)।
- vii. निविदा के साथ राष्ट्रीकृत/वाणिज्यक बैंक का रु0 10,000/— (रुपये दस हजार मात्र) का सावधि जमा (FDR) जो निविदा जमा करने की तिथि से छः माह तक के लिए वैध हो **“उ0प्र0 राज्य एड्स नियन्त्रण सोसाइटी, लखनऊ”** के नाम से अर्नेस्ट मनी के रूप में जमा करना अनिवार्य है।
- viii. इस निविदा प्रपत्र की एक प्रति दस्तावेज स्वरूप संलग्न की जाएगी, जिस पर निविदाकार को प्रत्येक पृष्ठ पर इंक/बालपेन से हस्ताक्षर करने होंगे तथा निविदा दस्तावेज के अंत में यह अंकित करना होगा कि **“निविदा दस्तावेज में वर्णित नियम एवं शर्तें हमें स्वीकार हैं”** एवं इस पर निविदाकर्ता के विधिवत रूप से प्रतिहस्ताक्षर किए जाएंगे।
- ix. निविदादाता फर्म को अपने लेटर हेड पर सरकारी/गैर सरकारी/पीएसयू द्वारा विगत तीन वर्षों तथा वर्तमान में अयोग्य घोषित (काली सूची) न किये जाने का अधिकृत प्राधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित एक घोषणा-पत्र प्रस्तुत करना होगा।

3. वित्तीय बिड लिफाफा

(क) वित्तीय बिड **अनुलग्नक-2** में दिए गए प्रपत्र के आधार पर अलग लिफाफे में सील बन्द किया जाएगा। दर की धनराशि सेवाकर को सम्मिलित कर दर्शायी जाए। वित्तीय बिड में दर्शाई गई दर शब्दों और अंकों अर्थात् दोनों में अंकित हों। ऐसी बिड, जिसके अंकों में उपरिलेखन तथा किसी प्रकार की काट-छाँट की गई हो, स्वीकार नहीं की जाएगी, जब तक कि शुद्धि पर प्रतिहस्ताक्षर न किए गए हो। वित्तीय बिड उचित प्रकार से मुहरबंद हो तथा उस पर हस्ताक्षर हों। निविदादाता निर्धारित प्रारूप पर दी गयी स्पेसीफिकेशन के अनुसार ही दरें/रेट उल्लिखित करेंगे। प्रपत्रों पर फर्म के प्रतिनिधि द्वारा हस्ताक्षर कर मोहर लगाया जाना अनिवार्य है।

(ख) केवल उन्ही फर्मों की वित्तीय बिड को खोला जाएगा जो तकनीकी बिड के आधार पर सफल तथा जो सोसाइटी के सक्षम प्राधिकारी द्वारा उनके वाहनों के निरीक्षण के पश्चात सफल होंगे। वित्तीय बिड खोलने से पूर्व फर्म से यह अपेक्षा किये जाने पर वाहनों के पंजीकरण प्रमाण-पत्रों के साथ वाहनों का निरीक्षण सोसाइटी के अधिकारियों से कराना होगा।

4. वाहन प्रदाता/फर्म को भुगतान :-

- a. फर्म/एजेन्सी को भुगतान हेतु किराये पर ली गई टैक्सी के बिल दो प्रतियों में आगामी माह के पहले सप्ताह में संबंधित प्राधिकृत अधिकारियों के हस्ताक्षरित यात्रा दैनिकी (logbook)/ड्यूटी पर्ची/निर्धारित आवश्यक संलग्नकों सहित प्रस्तुत किया जाएगा। फर्म के भुगतान में हुई देरी के किसी भी मामले में कोई अग्रिम या ब्याज का भुगतान नहीं किया जाएगा। फर्म द्वारा दिए गए बिलों में सभी कर पंजीकरण संख्या मुद्रित होनी चाहिए। भुगतान में नियमानुसार लागू टी.डी.एस. की कटौती की जायेगी।

- b. वास्तविक पार्किंग प्रभारों/पथ कर/आगमन कर/यात्रा पर अन्तर-राज्य कर का आदि भुगतान फर्म/ एजेन्सी द्वारा किया जाएगा, जिसकी प्रतिपूर्ति मूल बिल के साथ उचित रसीदें प्रस्तुत करने पर की जाएगी।
- c. मासिक किराए पर लिये गये वाहन को संबंधित अधिकारी द्वारा स्थानीय यात्रा के साथ-साथ बाहर स्टेशन की यात्रा के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। मासिक आधार पर लिये गये वाहन के लिए लखनऊ से बाहर भ्रमण में केवल नाइट चार्ज (Night Charges) अतिरिक्त देय होंगे।

5. नियम एवं शर्तें

- a) निविदा रु0 10,000/—(रुपये दस हजार मात्र) की बयाना राशि (अर्नेस्ट मनी) के साथ जो उ0प्र0 राज्य एड्स नियंत्रण सोसाइटी, लखनऊ के पक्ष में किसी भी राष्ट्रीकृत/वाणिज्यक बैंक से जारी सावधि जमा (FDR) के रूप में तकनीकी बिड के साथ जमा होनी चाहिए। टेण्डर अनुमोदित होने पर निविदाकर्ता अपनी दर सूची को वापस लेते/संशोधन करते हैं, या निर्धारित तीन वर्ष के अन्दर पंजीकृत वाहन नहीं उपलब्ध कराते हैं तो निविदाकार को बिना कोई कारण बताए बयाना राशि (अर्नेस्ट मनी) जब्त कर ली जाएगी तथा काली सूची में डालने एवं भविष्य में उसकी कोई भी निविदा स्वीकार न किये जाने सम्बन्धी कार्यवाही की जा सकती है। निविदाकर्ता का इस मामले में कोई दावा नहीं माना जाएगा। असफल निविदाकर्ता की बयाना राशि (अर्नेस्ट मनी) को टेण्डर प्रक्रिया पूरी होने के पश्चात वापस लौटा दिया जाएगा।
- b) सफल निविदाकार को कार्यादेश जारी होने के 10 दिन के अन्दर किसी राष्ट्रीकृत/वाणिज्यक बैंक से एफडीआर के रूप में निष्पादित जमानत राशि जो अनुबन्ध समाप्ति के 60 दिन बाद तक वैध हो सोसाइटी में जमा करनी होगी। यह जमानत राशि पूर्व वर्ष में अनुमोदित/स्वीकृत दर पर अनुमानित वार्षिक मूल्य का 8% (रु3,20,000 रुपये तीन लाख बीस हजार मात्र) होगी, जो कि एफडीआर के रूप में “उ0प्र0 राज्य एड्स नियन्त्रण सोसाइटी, लखनऊ” के पक्ष में देय होगी। एक से अधिक फर्मों की दरें स्वीकृत होने की दशा में स्वीकृत वाहन हेतु वार्षिक अनुबन्ध मूल्य के आधार पर 8% प्रत्येक फर्म द्वारा जमानत राशि प्रस्तुत की जाएगी। निविदाकार द्वारा इस निविदा/कार्यादेश के किसी नियम एवं शर्त के उल्लंघन करने पर या अनुबन्ध की अवधि के दौरान किसी प्रदान की जाने वाली सेवा निकृष्ट/त्रुटिपूर्ण/असंतोषजनक हाने पर निष्पादन जमानत राशि को जब्त करते हुए कार्यादेश को रद्द कर दिया जाएगा। इस संबंध में सोसाइटी का निर्णय फर्म के लिए अंतिम एवं बाध्यकारी होगा। दर अनुबन्ध के संतोषजनक पूरा होने के बाद जमानत राशि वापस कर दी जायेगी।
- c) फर्म द्वारा प्रस्तुत निविदा/बिड 90 दिनों की अवधि के लिए वैध रहेगी। निविदा में दी गयी दरों में से जो दरें स्वीकृत की जायेंगी वे दरें निविदा स्वीकृति होने की तिथि से एक वर्ष तक मान्य होंगी।
- d) सफल निविदाकार को कार्यादेश जारी होने के 10 दिन के अन्दर रुपये 100/— के नान-जूडीशियल स्टॉप पेपर पर फर्म के अधिकृत अधिकारी का नाम, उम्र, पिता/पति का नाम, पूर्ण पता, पद एवं बिना किसी शर्त के कार्यादेश की सभी नियम एवं शर्तों को स्वीकार करने का स्पष्ट अंकन करते हुए नोटरी द्वारा निष्पादित एग्रीमेन्ट प्रपत्र सोसाइटी में प्रस्तुत करना होगा।
- e) जमानत राशि एवं स्टॉप पेपर पर एग्रीमेन्ट प्रपत्र निर्धारित तिथि तक जमा न करने पर कार्यादेश को रद्द करते हुए अर्नेस्ट मनी को जब्त किया जा सकता है।
- f) टैक्सी वाहन बहुत अच्छी संचालन स्थिति में हों, जो तीन वर्ष के अन्दर के पंजीकृत एवं 60 हजार किमी0 से अधिक न चले हों उनका अनुबन्ध अवधि के दौरान उचित प्रकार से रखरखाव किया जाए। प्रदान किया जाने वाला टैक्सी वाहन तकनीकी रूप से उत्तम दशा में हों तथा उसका बाहरी भाग/साज सामान की रूप सज्जा काफी अच्छी हो। अनुबन्ध अवधि के दौरान यदि किसी वाहन के 4

वर्ष पूर्ण हो जाते हैं तो उसके स्थान पर वाहन प्रदाता को तीन वर्ष से कम अवधि का वाहन उपलब्ध कराना होगा।

- g) फर्म को टैक्सी वाहन आवश्यकतानुसार एक घण्टे के अन्दर उपलब्ध कराना होगा।
- h) फर्म को टैक्सी वाहन खराब होने की स्थिति में रिपोर्ट करने के एक घंटे के अन्दर दूसरा तैयार टैक्सी वाहन उपलब्ध कराना होगा। यात्रा पूरी करने के लिए वाहन खराब होने के बिन्दु से टैक्सी वाहन प्रभार फर्म द्वारा वहन किया जायेगा। टैक्सी के खराब होने पर मरम्मत के सभी खर्च फर्म द्वारा वहन किए जाएंगे।
- i) मासिक आधार पर किराये पर लिये गये टैक्सी वाहन के प्रचालन एवं रख-रखाव पर, मरम्मत/शोधन, वाहन चालक का वेतन, पेट्रोल/डीजल खर्च या संचालन में कई अन्य प्रासंगिक खर्च फर्म द्वारा वहन किए जाएंगे।
- j) मासिक रूप से किराये पर लिए जाने वाले वाहन के सम्बन्ध में यह अपेक्षा की जाती है कि यह सोमवार से शनिवार तक तथा आवश्यकतानुसार शासकीय अवकाश के दिनों में भी चयनित फर्म को वाहन उपलब्ध कराना होगा। मासिक रूप से अनुबन्धित वाहन को किसी अन्य विभाग के कार्य/स्थान पर प्रयोग नहीं किया जाएगा।
- k) सभी प्रकार के वाहनों का टैक्सी कोटे में रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है। फर्म द्वारा वाहन का पूर्ण रूप से बीमा होना चाहिए। विधिक विवाद, दुर्घटना इत्यादि के कारण उत्पन्न होने वाले सभी दायित्वों का फर्म द्वारा वहन किया जाएगा। फर्म द्वारा प्रदान किए गये वाहन चालक को प्रादेशीय राजधानी क्षेत्र लखनऊ का मौजूदा न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के आधार पर पारिश्रमिक भुगतान किया जाना चाहिए। फर्म द्वारा सोसाइटी में सम्बद्ध किये गये मासिक/दैनिक वाहन पर होने वाले किसी प्रकार के चालान, नुकसान क्षति या दुर्घटना या टैक्सी चालक/व्यक्ति की चोट के लिए भी सोसाइटी जिम्मेदार नहीं होगी तथा ऐसे किसी भी मामले में सोसाइटी का कोई दायित्व नहीं होगा।
- l) टैक्सी वाहन के लिए आकस्मिकता पड़ने पर सम्पर्क करने हेतु फर्म के मालिक अथवा उसके प्रतिनिधि को उनके द्वारा उपलब्ध कराये गये कार्यालय दूरभाष/मोबाइल नं० पर उपलब्ध रहना होगा।
- m) फर्म द्वारा वाहन चालकों के पूर्ववर्ती चरित्र को पूर्ण रूप से प्रमाणित कराया जाए तथा उनका विवरण (नाम, पता, दूरभाष नं०, फोटो, वाहन की अनुज्ञप्ति की प्रति इत्यादि) सोसाइटी को उपलब्ध कराया जाएगा।
- n) सफल, निविदाकर्ता को इस विभाग में परिनियोजित किए गए प्रस्तावित वाहन का पंजीकरण प्रमाणपत्र, बीमा कागजात, प्रदूषण नियंत्रण, परमिट इत्यादि की फोटो प्रतियां पांच दिनों के अन्दर प्रस्तुत करनी होगी। ऐसा न करने पर बयाना राशि (अर्नेस्ट मनी) को जब्त कर लिया जाएगा।
- o) वाहन चालक के साथ वाहन को सोसाइटी के अधिकार में रखा जाएगा। सोसाइटी किराए पर लिए गए वाहन का इस्तेमाल पदाधिकारियों, सामग्री इत्यादि लाने अर्थात् अपनी आवश्यकता के आधार पर किसी भी तरह उपयोग करने के लिए स्वतंत्र होगी तथा फर्म को इस संबंध में कोई आपत्ति नहीं होगी।
- p) फर्म/मालिक द्वारा ड्यूटी के दौरान चालक के आचरण का समय-समय पर उचित निरीक्षण किया जाएगा। चालक को स्थानीय भाषा बोलने में प्रवीण होना चाहिए, अच्छा व्यवहार करना चाहिए, सत्यनिष्ठ के साथ सुसभ्य होना चाहिए, स्वस्थ व्यक्तिगत आदतें होनी चाहिए तथा उसके पास हमेशा एक मोबाइल फोन होना चाहिए। ड्यूटी के दौरान चालक द्वारा एल्कोहल पेय/नशीले पदार्थ/पान/गुटका चबाना/धूम्रपान, संगीत सुनना आदि के निषेध का अनुपालन करना होगा। शिकायत होने पर तत्काल नवीन चालक की व्यवस्था करनी होगी।
- q) चालक को समय की पाबंदी, स्वच्छता, आज्ञाकारिता, मुस्तैदी, व्यवहार आदि के संबंध में कोई समझौता नहीं किया जाएगा। शिष्टाचार के नाते चालक को गणमान्य व्यक्तियों के लिए बाहर आकर उनके

वाहन में प्रवेश करने एवं छोड़ने के समय दरवाजा खोलना पड़ेगा। फर्म/ एजेन्सी यदि किसी भी समय सोसाइटी द्वारा निर्देशित सेवा प्रदान करने में असफल रहती है तो जमानत राशि जब्त कर ली जायेगी तथा सक्षम प्राधिकारी द्वारा बिना कोई कारण बताए चिन्हित वाहन अथवा पूर्ण अनुबन्ध निरस्त किया जा सकता है।

- r) टैक्सी चालक को उत्तर प्रदेश क्षेत्र के मार्गों की पूरी जानकारी होनी चाहिए तथा उसके पास स्वयं का वैध वाहन की अनुज्ञा-पत्र (लाइसेन्स) होना चाहिए। चालक की अज्ञानतावश अथवा जानबूझकर गलत मार्ग से यात्रा की दशा में दूरी बढ़ने के कारण उपलब्ध सबसे छोटे मार्ग के आधार पर भुगतान किया जा सकता है।
- s) सोसाइटी के साथ लगाए गए वाहन तथा वाहन चालक को सोसाइटी की पूर्व सहमति के बिना किसी विशेष परिस्थिति के अलावा बदला नहीं जायेगा।
- t) फर्म अथवा सोसाइटी लिखित रूप में 60 दिनों की पूर्व में दी गई सूचना के साथ अनुबन्ध को रद्द कर सकते हैं। फर्म द्वारा सोसाइटी की पूर्व मंजूरी के बिना यदि अनुबन्ध को बीच में समाप्त कर दिया जाता है तो समस्त भुगतान, जमानत राशि जब्त कर ली जाएगी, तथा सम्बन्धित फर्म को काली सूची (blacklist) में किया जा सकता है। सोसाइटी के पास बिना कोई कारण बताए अनुबन्ध को पूर्ण/आंशिक रूप निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है।
- u) सोसाइटी द्वारा प्रारम्भ में 08 ए.सी. टैक्सी वाहन अर्थात् 01 उच्चतम श्रेणी-एसयूवी टाइप (इनोवा/ समकक्ष), 01 मध्यम श्रेणी-सेडान टाइप (स्वीफ्ट डिजायर/मान्जा/इटियोस/हाण्डासिटी/सियाज/समकक्ष) तथा 06 हेचबैक टाइप वातानुकूलित इण्डिगो/समकक्ष वाहन नियमित/मासिक/आवश्यकतानुसार दैनिक आधार पर किराये पर अनुबन्धित किया जाएगा, जिनकी संख्या में कमी/अधिकता सम्भावित होगी। न्यूनतम दर एवं पूर्व में अन्य विभाग में संतोषजनक सेवा प्रदान करने के आधार पर एक अथवा एक से अधिक एजेन्सी को अनुबन्धित किये जाने का अधिकार सोसाइटी के सुरक्षित है।

v) जुर्माना की शर्तें इस प्रकार हैं:-

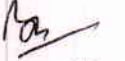
क्र.	समस्या	जुर्माना
1.	क) 30 मिनट या उससे ज्यादा देर से आना। ख) नहीं आना	क) 100/- ₹0 ख) टैक्सी वाहन न उपलब्ध कराने के मामले में सोसाइटी संबंधित अधिकारी की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए उस दिन के लिए एक टैक्सी वाहन किराए पर ले लेगी जिसका भुगतान अनुबन्धित फर्म द्वारा वहन किया जाएगा।
2.	वाहन तथा सीट कवर की सफाई न होने पर /वाहन में दुर्गन्ध आने पर	100/- रुपये प्रतिदिन कटौती की जा सकती है।
3.	वातानुकूलक कार्य न करने / ठीक से कार्य न करना	अनुबन्धकर्ता को एक घंटे के अन्दर अन्य वाहन उपलब्ध कराना होगा अन्यथा कार्यालय उस दिन के लिए एक टैक्सी वाहन किराए पर ले सकती है, जिसका भुगतान अनुबन्धित फर्म द्वारा वहन किया जाएगा।
4.	ठीक से कार्य न करने की पुनरावृत्ति होने/वाहन की स्थिति असंतोषजनक होने पर	वाहन को लौटा दिया जाएगा। एक टैक्सी वाहन किराये पर ली जाएगी जिसका भुगतान अनुबन्धकर्ता को होने वाले भुगतान से समायोजित कर लिया जाएगा, एवं इसके साथ-साथ जब तक उपयुक्त वाहन प्रदान नहीं कर दिया जाता तब तक 100/- ₹0 प्रतिदिन का जुर्माना लगाया जा सकता है।

नोट: जुर्माना के सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय परियोजना निदेशक, उ० प्र० राज्य एड्स नियन्त्रण सोसाइटी का होगा।



- w) कार्यस्थल बिन्दु सोसाइटी/सम्बन्धित अधिकारी द्वारा समय-समय पर बताए गए स्थान पर होगा तथा किलोमीटर/मील दूरी की गणना सोसाइटी द्वारा वाहन की ड्यूटी के लिए रिपोर्ट करने के स्थान से अधिकारी/पदधारी को शाम/रात को अंतिम रूप से छोड़े गए स्थान के आधार पर होगी न कि मोटरखाने (गैराज) या सोसाइटी के अंतिम बिन्दु से। समय की गणना सोसाइटी कार्यालय अथवा संबंधित अधिकारी को रिपोर्ट करने के वास्तविक समय से शुरू की जायेगी।
- x) प्रत्येक वाहन के लिए चालक द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित यात्रा दैनिकी (logbook) (स्थान, समय और किमी० की संख्या को दर्शाते हुए) अलग-अलग रखी जाएगी तथा प्रतिदिन प्रयोगकर्ता से हस्ताक्षरित कराने की जिम्मेदारी चालक की होगी।
- y) फर्म/एजेंसी की प्रदर्शन प्रतिक्रिया (performance) के आधार पर अग्रेतर कार्य विस्तार (पूर्व अनुबन्धित/स्वीकृत दरों एवं सेवा-शर्तों के अन्तर्गत) दिया जा सकता है।
- z) किसी भी विवाद की दशा में परियोजना निदेशक, उ०प्र० राज्य एड्स नियंत्रण सोसाइटी का फैसला अन्तिम होगा व दोनों/समस्त पक्षों को मान्य होगा। अनुबन्ध के प्रचालन के दौरान उठे किसी विधिक विवाद/मुकदमे का न्यायिक क्षेत्राधिकार लखनऊ होगा।

भवदीय,



(भरत कुमार मिश्र)
संयुक्त निदेशक, कय

तकनीकी बिड

क 0 सं0	विवरण	पेज सं0	पेज सं0
1.	फर्म/कम्पनी/एजेंसी का नाम एवं पूर्ण पता		
2.	दूरभाष संख्या	निवास	कार्यालय
3.	फर्म पंजीकरण की सत्यापित प्रति संलग्न		
4.	1 अप्रैल 2017 के अनुसार कर्मचारियों की संख्या		
5.	विगत तीन वर्षों का वार्षिक टर्न ओवर (प्रमाण सहित)		
6.	सेवाकर कोड सं0 तथा पैन नं0 प्रमाण पत्र एवं अद्यतन आयकर प्रमाण-पत्र संलग्न		
7.	निविदा जमा तिथि से छः माह की वैधता वाली एफडीआर प्रपत्र का विवरण (नम्बर एवं दिनांक) के रूप में 10,000/- रु0 की ईएमडी संलग्न।		
8.	विभाग/मंत्रालय तथा अन्य संगठन का नाम व पता जहां वर्तमान में वाहन नियमित/मासिक आधार पर लगाया गया है (कार्य आदेश की प्रति संलग्न।)		
9.	फर्म के प्राधिकृत व्यक्ति का नाम पदनाम पता जिससे निविदा के संबंध में सभी संदर्भ किया जाए।		
10.	एजेन्सी के साथ पंजीकृत टैक्सी की कुल संख्या पंजीकरण प्रमाण-पत्र संलग्न।		
11.	घोषणा-पत्र यह कि इस निविदा-प्रपत्र की सभी सेवा-शर्तें बिना किसी शर्त के स्वीकार हैं एवं सभी पृष्ठ मेरे द्वारा हस्ताक्षरित किया गया है।		
12.	निविदादाता फर्म को अपने लेटर हेड पर सरकारी/गैर सरकारी/पीएसयू द्वारा विगत तीन वर्षों तथा वर्तमान में अयोग्य घोषित (काली सूची) न किये जाने का अधिकृत प्राधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित एक घोषणा-पत्र प्रस्तुत करना होगा।		

भवदीय,

(प्राधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर)

नाम.....

पदनाम.....

बिजनेस का पता.....

.....

मुहर—

दिनांक.....

स्थान

वित्तीय बिड

सेवा में,
परियोजना निदेशक,
उ०प्र० राज्य एड्स नियंत्रण सोसाइटी
लखनऊ।

विशय:- उ०प्र० राज्य एड्स नियंत्रण सोसाइटी के उपयोगार्थ टैक्सी वाहन किराए पर लेने हेतु निविदा-आमंत्रण।

महोदय,

मैं/हम उपर्युक्त वर्णित विषय पर निविदा प्रस्तुत करता हूँ/करते हैं तथा सोसाइटी के दिनांक के निविदा प्रपत्र सं० में वर्णित नियम एवं शर्तों को एतद्वारा सहमत/स्वीकार करता हूँ/करते हैं/अपेक्षित सूचना तथा दर्शाए गई वित्तीय दर निम्न प्रकार है:-

(Rates in Rs.)

S. No.	Description for Petrol/Disel Taxi including km.	Indigo (AC)/ Equivalent	Honda City/Verna/ Ciaz/ Equivalent	Manza/ Etios/ Equivalent (AC)	Swift Desire/ Zest/ Equivalent (AC)	Innova/ Equivalent (AC)
1.	On monthly disposal 12 Hrs Per Day (2000 Km., per month)					
2.	Additional Km. exceeding the Max. limit (2000 km) per km per month					
3.	Full day disposal (8 hrs./80 Km.)					
4.	Half day disposal (4 hrs./40 Km.)					
5.	Outstation Run (Running per Km.)					
6.	Night Charges (after 10 P.M. To 6 AM) for local/outstation monthly basis vehile					
7.	Cars taken for Railway/Airport Drop/pickup					
8.	Number of vehicles owned by agency for which Bid/tenders are given					

मुझे/हमे निविदा संबंधित समस्त विवरण प्राप्त हो चुका है। यदि हमारे संगठन/फर्म/संस्था को कार्यादेश से सम्मानित किया जाता है, तो निविदा में उल्लिखित समस्त शर्तें मुझे/हमें स्वीकार्य होंगी तथा समस्त नियम/शर्तों का पालन हमारे द्वारा किया जायेगा।

भवदीय,

दिनांक—
स्थान—

(प्राधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर एवं मुहर)